न्यायालय :- उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अपील वाद संख्या- 04/2020

लालदेव भगत - अपीलार्थी।

बनाम्

राज्य एवं अन्य - प्रतिपक्षी

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता - अरूण कुमार द्विवेदी

प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता - स्वयं

आदेश

11.03.22

1. यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के आदेश ज्ञापांक 121 दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध लाया गया है, जिसमे कहा गया है कि Bihar Trade Articles (License Unification & Control) Order 1984 के प्रावधानों के तहत् दी गई खुदरा दुकान की अनुज्ञप्ति मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी ने उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति संख्या- 42/07 को पुनः बहाल करने के लिए प्रार्थना किया है।

2. अपील आवेदन में कहा गया है कि Bihar Trade Articles (License Unification & Control) Order 1984 के प्रावधानों के तहत् लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2007 में अनुज्ञप्ति संख्या 42/07 आवंटित किया गया है। इसके बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बिना किसी शिकायत के सकुशल पूर्वक निरंतर संचालन करते आ रहे है। अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 84 दिनांक 18.03.2016 से कारण पृच्छा किया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज Grievance No. 2015-1842 के आलोक में आपके दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्यान्न वितरण नहीं करने का आरोप पाया गया है। उक्त आलोक में उदेश्वर प्रसाद जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। अपीलार्थी द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया परन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा बिना किसी अवसर प्रदान किये अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति संख्या- 42/07 को पत्रांक 121 दिनांक 18.04.2016 से निरस्त कर दिया गया। वास्तविकता यह है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अपीलार्थी के दुकान को कभी निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही किसी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गयी है।

3. अपीलार्थी द्वारा कभी भी अनुज्ञप्ति के शर्तो या किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये घर के मुख्य जीविकोपार्जक है। अनुज्ञप्ति रद्द होने से बिल्कुल बेरोजगार हो गये हैं, जिससे घर-परिवार का भरण-पोषण एवं बच्चे की शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। ये अनुसूचित जनजाति समुदाय से आनेवाले एक निर्दोष व्यक्ति है। इनके खिलाफ पूर्व में किसी प्रकार का आरोप नहीं है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी दावा है कि एक बार Bihar Trade Articles (License Unification & Control) Order 1984 के प्रावधानों के तहत् लाईसेंस जारी होने के बाद जब तक कि लाईसेंस के किसी भी नियम या शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं होता है तब तक इसे मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तो या किसी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप नहीं है। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के आदेश ज्ञापांक 121 दिनांक

18.04.2016 को निरस्त किया जाय तथा अनुज्ञप्ति संख्या- 42/07 को पुनः बहाल किया जाय।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा पक्ष रखते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज Grievance No. 2015-1842 शिकायत की जाँच के क्रम में कार्डधारियों के बीच प्रति यूनिट खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने का आरोप सही पाया गया था। उक्त आरोप के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 84 दिनांक 18.03.2016 से निलंबित किया गया था।

6. अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार के क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिनांक-17.04.2016 को दुकानदार के उपस्थिति में ग्रामीणों द्वारा नया राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे की उगाही करने का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों के आरोप को बिना भय एवं दबाव के स्वलिखित रूप से इनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। पैसा वसूली का इकबालिया ब्यान में कहा गया है कि जिला आपूर्ति कार्यालय, लातेहार के कम्प्यूटर ऑपरेटर को रू0 500 प्रतिकार्ड बनाने के लिए देने हेतु 20 लाभूकों से रू0 300 से 500 तक लिया गया है। जिला आपूर्ति कार्यालय, लातेहार में कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटर का पहचान कराने पर पहचान करने में अक्षम रहें, जो Bihar Trade Articles (License Unification & Control) Order 1984 के शर्तो का उल्लंघन को दर्शाता है।

7. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 के कंडिका 27(ii) में प्रावधानित अनुज्ञप्ति के शर्तो, कर्तव्यों/ उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश के उल्लंघन के पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर नियमसंगत तरीके से रद्द किया गया है। इसलिए अपील आवेदन को खारीज किया जाय तथा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी निर्गत आदेश संख्या- 121 दिनांक 18.04.2016 को बहाल रखा जाय।

8. अंचल अधिकारी, चंदवा के पत्रांक-197 दिनांक-23.07.2019 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न कार्डधारियों के ब्यान का अवलोकन किया। अधिकांश कार्डधारियों का यह मानना है कि लालदेव भगत के पास आसानी से राशन प्राप्त होता था। इनकी अनुज्ञप्ति रद्द होने से राशन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अंचल अधिकारी, चंदवा द्वारा कार्डधारियों के ब्यनात के आधार पर अनुज्ञप्ति संख्या-42/07 को पुनः बहाल करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

9. उभय पक्षों के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अंचल अधिकारी, चंदवा द्वारा कार्डधारियों के ब्यान के साथ प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
लातेहार।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.04.08 14:06:58 +05:30
Location: 10.93.47.14